न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)

[illegible]मा नम्बर 70/2022 — दायर दिनांक –25.04.2022

1. फूलाराम पुत्र माला जाति किर निवासी किरा की ढाणी भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

वादी

बनाम

1. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राज0
2. प्रबंधक देवस्थान विभाग जयपुर
3. सचिव देवस्थान विभाग जयपुर
4. जिला कलेक्टर महोदय, झुंझुनू

प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री सज्जन कुमार चाहर**
वकील प्रति. :– **राज0 पैरा0**

दावा बाबत– घोषणार्थ व
रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 17.10.2025

वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम भरवाड़ी पटवार हल्का टोंकछीलरी की सरहद में भूमि भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 1.30 हेक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 24 कुल खसरा 1 कुल रकबा 1.30 स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान् के पुराने खसरा नम्बर सम्वत 2010 से 2032 तक वादी के पिता माला के उर्फ मालिया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसकी जमाबंदी व खसरा गिरदावरी वाद पत्र के साथ संलग्न है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का राजस्व रिकार्ड कि पूर्व में वादी के पिता माला उर्फ मालिया के नाम से दर्जशुदा थी। जिस पर वादी के पिता के फोत होने के बाद अब वादी का उक्त भूमि पर हमेशा कब्जा काश्त भी चला आ रहा है वर्तमान में भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वादी का चला आ रहा है।

उक्त पैरा नम्बर 1 में वर्णित कृषि भूमि जिसके पुराना खसरा नम्बर 24 था जिस पर वादी के पिता माला उर्फ मालिया का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज चला आ रहा था परन्तु संम्वत् 2036 के बाद पैमाईश में राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश उक्त कृषि भूमि की खातेदारी बिना किसी प्रकार की जांच किये ही गलती से मंदिर श्री गोपालजी के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी जो गलत दर्ज कर दी। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त था तथा वादी का पिता ही उक्त वर्णित कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे थे तथा वर्तमान में भी वादी कृषि करता है तथा उक्त वर्णित भूमि पर वादी के पिता का एक मात्र वारीस वादी ही है। जिसका उक्त कृर्षी भुमि पर कब्जा काश्त है जिसके कारण अब सम्पूर्ण भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड राजस्व कर्मचारियों ने गलती से मंदिर श्री गोपालजी के नाम से दर्ज कर दिया। इसलिए उक्त भूमि का राजस्व रिक[illegible]कॉर्ड दुरूस्ती व घोषणा का श्रीमानजी की सेवा में पेश करना आवश्यक हुआ।

राजस्व कर्मचारियों को [illegible] की किसी के राजस्व रिकॉर्ड की भूमि को मंदि[illegible]नाम से दर्ज कर[illegible]राजस्व कर्मचारियों को वादी की खातेदारी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड [illegible] चाहिए थी, परन्तु [illegible] कर्मचारियों ने बिना किसी जाँच पड़ताल के वादी कि खा[illegible] भूमि को मंदिर श्री गोपाल[illegible] नाम से दर्ज कर दिया जो कि गलत दर्ज कर दिया।

सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का प्रथम दृष्टया मामला है अगर वादी के पक्ष में रिकॉर्ड दुरूस्त नही होगा तो वादी को इतनी क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नही होगी। इसलिए पूर्व राजस्व रिकॉर्ड तथा वर्तमान कब्जा काश्त को देखते हुये उक्त रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

अतः वाद पत्र पेश कर नम्र निवेदन है कि पैरा नम्बर 1 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम भरवाड़ी पटवार हल्का टोंकछीलरी की सरहद में भूमि भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 1.30 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 24 कुल खसरा 01 कुल रकबा 1.30 स्थित है। जिसका राजस्व रिकार्ड पूर्व में वादी के पिता के नाम से दर्ज था। जिसे राजस्व कर्मचारियों ने गलती से उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड मंदिर श्री गोपालजी के नाम से दर्ज कर दिया है जिसका रिकॉर्ड दुरूस्त कर उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड सम्पूर्ण वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की घोषणा कर प्रतिवादी नम्बर 1 को इस आश्य की तहरीर जारी करने की कृपा करें।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम भरवाडी की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2015–18 खसरा नम्बर 19 रकबा 1.30 हेक्टर पुराने खसरा 24 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा जमाबन्दी के कालम संख्या 4 (भूमिधारी) माफी मन्दिर श्री गोपालजी वाके चारा का बास वर्तमान पुजारी काना वल्द सुखा 1/2 चन्द्र पुत्र लादू 1/2 कोम ब्राहमण सा. चारा का बास अंकन दर्ज है, व कॉलम नम्बर 5 में नाम कृषक विवरण में मालिया पुत्र जमना कोम हीर सा. परसरामपुरा अंकन दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2019 लगायत 2030 कॉलम नम्बर 5 में मालिया पुत्र जगना सा. परसरामपुरा कोम कीर अंकन दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2044–2017 खसरा नम्बर 19 रकबा 1.30 हैक्टर की खातेदारी मन्दिर श्री गोपालजी खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी अनुसार वर्तमान तक उक्त भूमि की खातेदारी मन्दिर श्री गोपालजी के नाम दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल संलग्न है।

बिन्दु संख्या दो वादी अस्वीकार है क्योंकि कानूनी स्थिति मे मूर्ति को शाश्वत अवयस्क माना गया है। मूर्ति के शाश्वत अवयस्क होने के परिणामतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 (1) (अ) की निर्योगिताएँ इन भूमियों पर लागू हैं। वादी द्वारा मन्दिर मूर्ति की भूमि पर साज कर प्राप्त किये गये किसी भी दस्तावेज को कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिल सकती है। सरकार के ध्यान ने आने पर उक्त भूमि को की खातेदारी मन्दिर मूर्ती के नाम दर्ज की जा चुकी है। वादी यदि मन्दिर की खातेदारी भूमियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तो वह केवल अतिचारी की परिभाषा में ही आता है। मूर्ति के शाश्वत अवयस्क होने के परिणामतः वादी को अतिचारी मानते हुऐ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं के तहत बैदखल किये जाने योग्य है। वादी को इस वाद के जरिये किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है। वाद वादी निराधार सार हीन होने से इसी स्तर पर काबिल खारीज है।

बिन्दु वाद वादी संख्या तीन पूर्ण रूप से अस्वीकार है क्योंकि कानूनी मूर्ति को शाश्वत अवयस्क माना गया है। मूर्ति के शाश्वत अवयस्क होने के परिणामतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46(1) (अ) की निर्योगिताएँ इन भूमियों पर लागू होने के कारण वादी को मन्दिर मूर्ति की भूमि पर किसी प्रकार से खातेदारी अधिकारी का सृजन नहीं हो सकते है। वाद वादी सार हीन नियमों के विपरीत होने से खारीज योग्य है।

वाद वादी बिन्दु संख्या चार पूर्ण रूप से अस्वीकार है। वादी के पक्ष में किसी प्रकार का सुविधा संतुलन नही है, वादी इस वाद के जरिये मंन्दिर मूर्ती जो की शाश्वत अवयस्क है को बिना अधिकार के हडपना चाहते है। जब वादी का उक्त भूमि पर अधिकार बनता ही नहीं है तो उनको अति होने की किसी भी सूरत में सम्भावना नहीं बन पाती है। वाद वादी सार हीन रिकार्ड के तथ्यों से परे होने से काबिल खारिज है।

वाद का बिन्दु संख्या पांच पूर्ण रूप से अस्वीकार है क्योंकि बादी द्वारा माननीय न्यायालय में सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने हेतु निधारित रीति के तहत कानूनी नोटिस नहीं दिया गया है। वाद वादी मंन्दिर मूर्ती की भूमि को नाजायज रूप से हडप करने की मंशा से वाद पेश किया गया है, इस वाद को किसी भी रूप में आवश्यक नेचर का नहीं माना जा सकता है। वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान की सेवा पेश 80 (2) को नोटिस काबिल खारिज होने से [illegible] न्यायालय श्रीमान से हक सरकार निवेदन है कि कानूनी प्रकिया का वाहन नहीं करने [illegible] वादी इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

वाद वादी बिन्दु संख्या छः पूर्ण रूप से अस्वीकार है क्योंकि [illegible] बिन्दु के तथ्य सार हीन मनगढंत तथा असत्य है।

अतः जबाब वाद वादी सरकार की ओर से पेश कर नि[illegible] है कि वाद भूमि मन्दिर मूर्ती की खातेदारी भूमि रही है। कानूनी स्थिति मे मूर्ति को शाश्वत अवयस्क माना गया है। मूर्ति के शाश्वत अवयस्क होने के परिणामतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 (1) (अ) की नियोगिताएँ इन भूमियों पर लागू होने के कारण वादी को वाद भूमि पर किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक, नवलगढ़

केवल इस संबंध में मंन्दिर मूर्ति की भूमि पर अतिचारी है। जिसको राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय 1956 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही कर बैदखल किये जाने के योग्य है। वाद वादी काबिल खारिज है।

अतः माननीय न्यायालय की सेवा में जबाब वाद वादी हक सरकार पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा मंन्दिर मूर्ती की खातेदारी भूमि पर नाबालिग अवयश्क मूर्ती की भूमि को हडप करने व खुर्द–बुर्द करने की मंशा से पेश किया गया है। वाद वादी सार हीन मनगढंत तथा निमयों के विपरीत होने से खारीज योग्य है। न्यायालय श्रीमान से सादर निवेदन है कि वाद वादी इसी स्तर पर खारिज करने की कृपा करावें।

प्रकरण में जवाब देही प्रस्तुत होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कामय की गई :–

1. **तनकी नम्बर 01** :– आया वाद में वादी ग्राम भरवाडी के पुराने खसरा नम्बर 24 के नया खसरा नम्बर 19 रकबा 1.30 हैक्टर की भूमि को वादी के नाम राजस्व रिकार्ड की घोषणा करवाने के अधिकारी है

भा.स.वादी

2. **तनकी नम्बर 02** :– आया वाद में वर्तमान जमाबन्दी संवत 2015–2018 खसरा नम्बर 19 रकबा 1.30 हैक्टर पुराने खसरा नम्बर 24 रकवा 5 बीघा 3 बिस्वा के कालम संख्या 4 में (भूमिधारी) माफी मन्दिर श्री गोपालजी वाके चारा का बास वर्तमान पुजारी काना वल्द सुखा 1/2 चन्द्र पुत्र लादू 1/2 कोम ब्राहमण सा. चारा का बास अंकन दर्ज है व कालम संख्या 5 में नाम कृषक विवरण में मालिया पुत्र जमना कोम हीर सा. परसरामपुरा अंकन दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2019 लगायत 2030 कॉलम नम्बर 5 में मालिया पुत्र जगना सा. परसरामपुरा कोम कीर अंकन दर्ज है। जमाबन्दी 2044–2047 व वर्तमान में खसरा नम्बर 19 रकबा 1.30 हैक्टर की खातेदारी मन्दिर श्री गोपालजी के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। मूर्ति को शाश्वत अवयस्क मानने के परिणामतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 (1) (अ) की निर्योगिताएँ लागू होने के कारण वादी को वाद भूमि पर किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं होने व अतिचारी होने से वाद वादी काबिल खारिज होने योग्य है।

भा.स.प्रतिवादीगण

3. दादरशीः–

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से राज0 पैरो0 उप0।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जबाब पेश होने पर तनकीयात कायम की गई। तद्पश्चात शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी फूला ने उपस्थित हो अपनी मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से शहादत पेश नही करना जाहिर किया।वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदीयां तथा नकल मिलान क्षैत्रफल आदि दस्तावेजात् पेश किये।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम वकील उभय पक्ष बगौर सुनी गई। बहस का मनन किया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व बहस पर मनन करते हुये निर्णय तनकीवार निम्नानुसार हैः–

1. **तनकी नम्बर 01** :– आया वाद में वादी ग्राम भरवाडी के पुराने खसरा नम्बर 24 के नया खसरा नम्बर 19 रकबा 1.30 हैक्टर की भूमि को वादी के नाम राजस्व रिकार्ड की घोषणा करवाने के अधिकारी है

भा.स.वादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। यहां य[illegible]य है कि ग्राम भरवाडी के पुराने खसरा नम्बर 24 के नया खसरा नम्बर [illegible] भूमि [illegible] खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाने का अनुतोष चाहा [illegible]। पत्रावली पर उप[illegible] दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का खातेदार मंदिर मूर्ति गोपालजी [illegible] रिकॉर्ड है तथा वादी ने राजस्व रिकॉर्ड के गलत अंकन होने के तथ्य के संबंध में किसी [illegible] का दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नही किया है। फलस्वरूप वादी उक्त तनकी को साबित करने मे असफल हुआ है तथा तनकी नं0 1 वादी के विरूद्व तय की जाती है।

2. **तनकी नम्बर 02** :– आया वाद में वर्तमान जमाबन्दी संवत 2015–2018 खसरा नम्बर 19 रकबा 1.30 हैक्टर पुराने खसरा नम्बर 24 रकवा 5 बीघा 3 बिस्वा के कालम संख्या 4 में (भूमिधारी) माफी मन्दिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

श्री गोपालजी वाके चारा का बास वर्तमान पुजारी काना वल्द सुखा 1/2 चन्द्र पुत्र लादू 1/2 कोम ब्राहमण सा. चारा का बास अंकन दर्ज है व कालम संख्या 5 में नाम कृषक विवरण में मालिया पुत्र जमना कोम हीर सा. परसरामपुरा अंकन दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2019 लगायत 2030 कॉलम नम्बर 5 में मालिया पुत्र जगना सा. परसरामपुरा कोम कीर अंकन दर्ज है। जमाबन्दी 2044–2047 व वर्तमान में खसरा नम्बर 19 रकबा 1.30 हैक्टर की खातेदारी मन्दिर श्री गोपालजी के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। मूर्ति को शाश्वत अवयस्क मानने के परिणामतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 (1) (अ) की निर्योगिताएँ लागू होने के कारण वादी को वाद भूमि पर किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं होने व अतिचारी होने से वाद वादी काबिल खारिज होने योग्य है।

भा.स.प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण के द्वारा पेश दस्तावेजों व साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मंदिर श्री गोपलाजी वाके ग्राम चारा का बास के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है जो की पूर्व से ही सही रूप से दर्ज चला आ रहा है। फलस्वरूप प्रतिवादीगण उक्त तनकी को साबित करने में सफल रहा है।

—:: आदेश ::—

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17.10..2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
झुंझुनूं जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:45 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा सं0:– 70/2022 **दावा बाबत : घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती**
(फूला बनाम भूमिधारक आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 17.10.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेंगे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.10.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (फा.ट्रेक) नवलगढ
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फास्ट ट्रेक नवलगढ़
मोहर

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलेह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:45 IST
Reason: SelfAttested